राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 56/2017

राजेन्द्र कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए गृह सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), पुलिस विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, उदयपुर रेंज राजस्थान।
4. पुलिस अधीक्षक, उदयपुर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण दिनांक : 21.03.2017
आदेश की दिनांक : 29.05.2024

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रकरण की पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह भाटी अनुपस्थित तथा प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता श्री राजेन्द्र दाधीच उपस्थित। उन्होने अवगत कराया कि प्रस्तुत अपील वर्ष 2017 में पेश की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के आदेश के बावजूद नोटिस पेश नहीं किए गए है। अतः प्रकरण आदेशों की अनुपालना नहीं करने के आधार पर अपील को खारिज किया जावे।
2. पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अधिकरण के आदेश दिनांक 21.03.2017 द्वारा प्रकरण में नोटिस दस्ती अधिवक्ता अपीलार्थी को दिए जाने हेतु आदेशित किया गया है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर नोटिस प्रस्तुत किए जाने के कोई तथ्य/दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अपील विगत लगभग 7 वर्ष से लम्बित है और अपीलार्थी की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
3. लिहाजा, अधिकरण के आदेश की अनुपालना नहीं किए जाने के आधार पर अपील, अपीलार्थी खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य